दुर्घटना

दिनांक 14.12.2023 को इंद्रलोक, लाइन-1 में ट्रेन से एक महिला यात्री के घिसटने की असामान्य घटना

दुर्घटना का कारण

मृतक यात्री की पानी की बोतल के उलझने की अप्रत्याशित घटना के कारण, यात्री के हाथ से बंधी नायलॉन के पट्टे की बोतल का एक सिरा कोच के दरवाजे के बाहर रह गया और बोतल सहित दूसरा सिरा कोच के दरवाजे के अंदर रह गया। यह उलझन तब हुई जब यात्री द्वारा दरवाजा बंद होने के समय जल्दबाजी में ट्रेन से उतरते समय दरवाजा बंद होने के अलार्म को नजरअंदाज कर दिया गया और फिर यात्री को ट्रेन द्वारा घसीट लिया गया, यह घटना मानक संचालन प्रक्रियाओं और ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी दोनों में प्रणालीगत खामियों/अपर्याप्तता के कारण हुई।

पैरा IX. सिफारिशें

पैरा सं.	पैरा का विवरण	अनुपालन/ कार्य योजना
पैरा 9.1	ट्रेन में चढ़ने/ उतरने के दौरान संरक्षा सावधानियों पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न माध्यमों से यात्री जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा, जैसे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर शॉर्ट वीडियो क्लिप चलाना, साइनेज लगाना तथा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आदि का उपयोग करना।	दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों को सुरक्षित तरीके से चढ़ने और उतरने के बारे में जागरूक करने तथा मेट्रो में सुरक्षित यात्रा की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई है। यात्रियों को संरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों के भीतर डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से संरक्षा संबंधी एक विशेष वीडियो प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है: 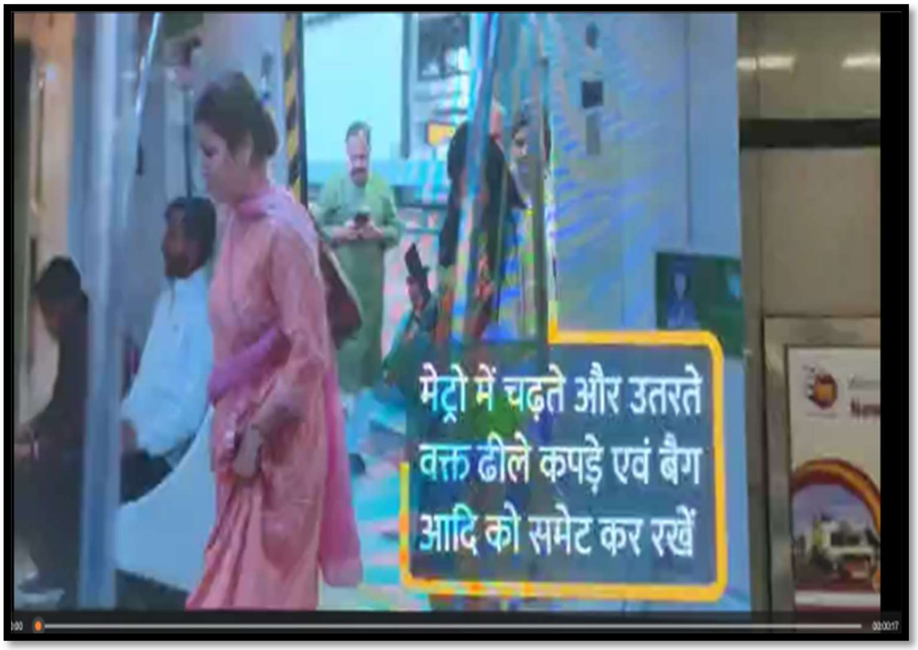 इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए डीएमआरसी के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग किया जा रहा है। इस मुद्दे पर 20 दिसंबर 2023 को पहली पोस्ट डाली गई थी। यात्रियों को जागरूक बनाने वाली इस तरह की और पोस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाषाओं में तैयार की गई हैं और इन्हें समय-समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/ प्रिंट मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है:

पैरा 9.1 जारी

Mind The Gap: Metro Reminds Commuters Obstruction Of Coach Gates Will Cost You

Under Metro Railway Act, Punishable With Imprisonment Or A Fine Of Up To ₹10,000 Or Both

Priyangi.Agarwal
@timesgroup.com

New Delhi: A woman passenger, finding the metro train doors closing at Guru Dronacharya station, shoved her bag in the gap to reopen them. The doors, however, closed on the bag and the train moved for a few metres before halting again. The woman's rash action, something that is replicated many times every day on the metro trains, could have led to an accident besides delaying the running time of the train with a cascading effect on subsequent train runs. Delhi Metro Rail Corporation, therefore, complained to police on Tuesday about the obstruction caused to the closing of the coach doors.

After a 35-year-old woman recently died when a train dragged her for several metres after her clothing became stuck in the door, DMRC found in a random surveillance based on CCTV footage that passengers trying to prevent the doors from closing has become a daily occurrence. DMRC reminded on Tuesday that obstruction of the coach gates was an offence under Section 67 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002, punishable with imprisonment for a term that may extend to four years or a fine of up to Rs 10,000 or both.

In an incident reported on Monday at GTB Nagar metro station, a woman tried to enter the coach when the gates were closing. Her coat got stuck between the closing doors but the passenger escaped unhurt though the train dragged the entangled coat for a short distance.

Police will also file a police complaint in the December 27 case of a man who wilfully stood between the doors at New Ashok Nagar metro station to enable a woman to enter the coach. DMRC said the door of the coach became defective due to forced obstruction and caused a delay of 15 minutes.

"We want to caution commuters against risking their lives by obstructing the coach gates. Another train arrives anyway within a few minutes," said a DMRC official. "We have seen that the incidents of people preventing the closure of gates are growing." The official said that they will now file police complaints against passengers for such acts and also fine them.

The official added, "If a passenger's belongings get stuck in the train door, it may also get entangled with the body and cause injury to the person. The train door makes three attempts to close. If there is persistent obstruction, the door opens and continues to remain so. In such a condition, the train doesn't move. The doors have to be manually closed by the train operator."

The train company has started playing a video at metro stations warning the passengers about the risks involved in such acts and also installing signage to educate people about this. "DMRC already makes announcements inside trains advising passengers to take care of their sari, dhoti, dupatta, bag, etc., while boarding or deboarding. In the wake of the recent incident, additional measures are also being taken, including installing extra signage on platform screen doors and train doors across the rail network," disclosed Anuj Dayal, principal executive director, corporate communications, DMRC.

Dayal said that digital screens existing at the major stations and screens inside the trains are also playing an awareness video that has been specially made on the subject to educate the commuters about the safety precautions to be taken while boarding and alighting from a coach. He added that the company was also using social media handles to disseminate information about the risks in a creative manner.

WHEN SAFETY TAKES A BACKSEAT

- **1-2 cases** of door obstruction observed daily
- Commuters deliberately restrict the closure of doors using their **foot, bags or other objects**
- Obstruction of gates can lead to accidents and passengers are **likely to sustain injuries**
- It also **causes damage** to metro gates and delays the trains
- Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has **started filing police complaints** under Section 67 of Delhi Metro O&M Act for obstruction of gates
- DMRC said it will also **impose penalty** on such passengers
- People usually obstruct gates to **help fellow commuters** in entering the coach
- A train stops at a station for **15-30 seconds**
- Trains are **available at a gap of 3-5 minutes** across the metro network during peak hours

Woman puts her bag between gates at Guru Dronacharya station

Man obstructing the gate using his foot and hand

Woman's coat stuck in the gate while she was trying to enter the coach

What happens when the gate is obstructed

- Train door takes three attempts to close. If it still remains obstructed, the respective door remains in open condition and the train doesn't move
- Door is manually closed again by the train operator
- If the door fails to close, then the coach is isolated

How obstructing gate closure can impact the safety of commuters

- If a passenger's belongings get stuck in the train door, it may also get entangled with the passenger's body and may cause injury to the passenger

What is Section 67 of Delhi Metro O&M Act

Obstructing running of train, etc

- If any person obstructs or causes to be obstructed or attempts to obstruct any train or rolling stock upon the metro railway by squatting, picketing or keeping without authority any rolling stock on the metro railway or tampering with any signalling installations or by interfering with the working mechanism thereof, or otherwise, he shall be liable to be removed by any metro railway official, authorised by the metro railway administration in this behalf and shall also be punishable with imprisonment for a term, which may extend to four years, or with fine, which may extend to ten thousand rupees, or with both

TIMES VIEW: Over the years, the metro has become the heart of the capital's public transport system. It is also the duty of the public to behave responsibly in the stations and on the trains. Any form of misbehaviour should be discouraged because it can not only be dangerous, but also adversely impact hundreds of other commuters. DMRC is justified in imposing a stiff penalty on such travellers. Being lenient can lead to more such cases.

सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने के लिए विभिन्न सार्वजनिक सूचना वेबसाइटों तथा समाचार वेबसाइटों का उपयोग किया जा रहा है।

दिल्ली मेट्रो: महिला की साड़ी फंसने से हुई दुर्घटना के बाद नए साइनेज, वीडियो और डिजिटल स्क्रीन का उद्देश्य दुखद दुर्घटनाओं को रोकना है।

Delhi Metro: New Signages, Videos, and Digital Screens Aim to Prevent Tragic Accidents After Woman's Saree Mishap

• Published By: Samreen Pall • PTI • Last Updated: JANUARY 10, 2024, 17:27 IST • New Delhi, India

Delhi Metro launches a safety campaign after a woman's fatal accident due to her saree getting caught in a train door.

• Follow us: Whatsapp Facebook Twitter Telegram Google News

Delhi Metro: New Signages, Videos, and Digital Screens Aim to Prevent Tragic Accidents After Woman's Saree Mishap. (File photo)

पैरा 9.1 जारी		

Delhi Metro launches safety campaign! Digital screens and signages installed to promote Metro travel awareness

Among the several measures, the DMRC has installed digital screens at major stations and even inside trains which are showing awareness videos.

Written by FE Online
January 9, 2024 21:06 IST

Follow Us

The new signage in use is similar to the stickers that can already be seen inside the train. (Express)

THE NEW INDIAN EXPRESS

NATION WORLD STATES OPINIONS CITIES BUSINESS SPORT GOOD NEWS MOVIES PHOTOS VIDEOS WEB SCRAWL E-PAPER

Delhi

Mind the gap: Delhi Metro launches safety blitz after tragic sari incident

The impetus for this safety campaign came from an unfortunate incident that transpired on December 14 at the Inderlok Metro Station.

The Telegraph online

Friday, 19 April 2024

HOME LOK SABHA POLLS OPINION INDIA MY KOLKATA EDUGRAPH STATES WORLD BUSINESS ENTERTAINMENT SPORTS

Home / India / Mind the gap: With new signage and social media messages, Delhi Metro starts travel safety drive

Mind the gap: With new signage and social media messages, Delhi Metro starts travel safety drive

At the Central Secretariat and the Chandni Chowk metro stations, digital screens are playing videos seeking to build awareness among passengers on metro travel safety

पैरा 9.1 जारी		ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान बरती जाने वाली संरक्षा संबंधी सावधानियों को सुदृढ़ करने के लिए, मौजूदा साइनेज के अलावा, विशेष साइनेज तैयार कर स्टेशनों पर प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें सीआईएसएफ सुरक्षा जांच बिंदुओं पर ऐसे साइनेज की संख्या 358, प्लेटफॉर्मों की सीढ़ियों पर 1018, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर पर 9216 और प्लेटफॉर्म एरिया में 2080 हैं। उपलब्ध साइनेज के अलावा, प्लेटफॉर्म एरिया में अतिरिक्त 1426 बड़े आकार के साइनेज भी लगाए गए हैं।

पैरा 9.1 जारी

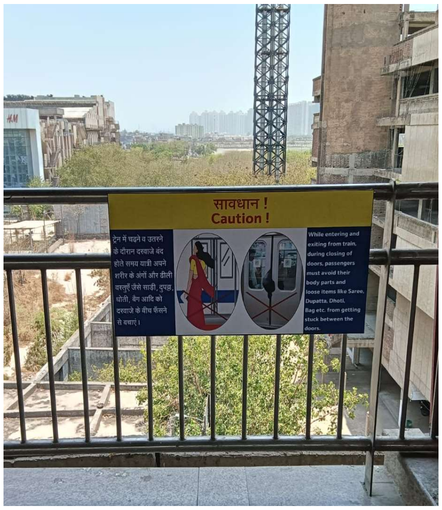

निम्नलिखित अतिरिक्त उद्घोषणाएं जोड़ी गई हैं -

क. स्टेशनों पर :

किसी वस्तु या व्यक्ति के ट्रेन दरवाजों में फंसे होने या अन्य आपात स्थिति में प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आपातकालीन पैनल को दबाएं।

ख. ट्रेनों में :

i. आरएस-3 को छोड़कर समस्त चल स्टॉक के लिए:

किसी वस्तु या व्यक्ति के ट्रेन दरवाजों में फंसे होने या अन्य आपात स्थिति में आपातकालीन अलार्म बटन दबाएं।

ii. आरएस-3 के लिए :

किसी वस्तु या व्यक्ति के ट्रेन दरवाजों में फंसे होने या अन्य आपात स्थिति में आपातकालीन अलार्म हैंडल खीचें।

मार्च-2024 में संरक्षा जागरूकता सप्ताह के दौरान 10 इंटरचेंज स्टेशनों पर यात्रियों के साथ संपर्क किया गया जिसमें लगभग 5000 यात्रियों को ट्रेनों के अंदर और स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली विभिन्न संरक्षा सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई।

पैरा 9.2	ट्रेन ऑपरेटर के लिए एसओपी (एसओपी सं. 5.6 एवं 5.9) में उल्लेखानुसार ट्रेन ऑपरेटरों को सही तरीके से प्लेटफॉर्म ड्यूटी करने हेतु परामर्श देने के लिए तत्काल एक संरक्षा अभियान चलाया जाना चाहिए। ट्रेन ऑपरेटर के लिए एसओपी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि ट्रेन चालू होने से पहले, ट्रेन ऑपरेटर को उपलब्ध साधनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रेन के दरवाज़ों पर कोई बाधा न हो। इसके अलावा, ट्रेन ऑपरेटरों को व्यस्त और गैर-व्यस्त घंटों के दौरान न्यूनतम ठहराव समय का पालन किए जाने के संबंध में सूचित किया जाना चाहिए।	एसओपी के अनुपालन, समुचित कार्यनिष्पादन और जोखिम को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ट्रेन ऑपरेटरों को प्लेटफॉर्म ड्यूटी और ट्रेन के दरवाजे बंद करने के संबंध में उनके कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए काउंसलिंग अभियान चलाया गया। घुमावदार या सीधे प्लेटफॉर्मों वाले इंटरचेंज और नॉन-इंटरचेंज स्टेशनों पर ट्रेनों के दरवाज़े बंद होने के दौरान ट्रेन ऑपरेटरों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में समुचित निर्देश जारी किए गए हैं। सभी ट्रेन ऑपरेटरों को सलाह दी गई है कि वे प्लेटफ़ॉर्म से प्रस्थान करते समय ट्रेन में पैसेंजर इमर्जेंसी अलार्म (पीईए) चालू होने की स्थिति में इमर्जेंसी ब्रेक लगाएं। ट्रेन ऑपरेटरों के लिए उचित निर्देशों के साथ एसओपी को संशोधित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ट्रेन के चालू होने से पहले ट्रेन ऑपरेटर उपलब्ध साधनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि ट्रेन के दरवाज़ों पर कोई बाधा न हो। व्यस्त और गैर-व्यस्त घंटों के दौरान न्यूनतम ठहराव समय के बारे में समय-सारणी के माध्यम से जानकारी दी गई है।
पैरा 9.3	एस्केलेटर/ सीढ़ियों के पास जमा लोगों को उचित तरीके से चढ़ने और भीड़ को हटाने के लिए व्यस्ततम और भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में सीएफए/ सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएफए/ सुरक्षा गार्डों को डीएमआरसी द्वारा जारी उचित प्रशिक्षण और सक्षमता प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। सीएफए/ सुरक्षा स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर इस तरह से बनाए रखा जाएगा कि	1. सीएफए का प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू किया गया है। इससे उन्हें किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। 2. सीएफए को उनके कार्य संबंधी जानकारी दिए जाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में यात्रियों को मेट्रो ट्रेनों से उचित तरीके से चढ़ने/ उतरने की सुविधा प्रदान करना और स्टेशनों के भीड़भाड़ वाले प्लेटफार्मों पर एस्केलेटर/ सीढ़ियों के पास जमा भीड़ को हटाना शामिल है। 3. सीएफए को कार्य संबंधी जानकारी दिए जाने के बाद सक्षमता प्रमाणपत्र दिया जाता है। 4. अब मेट्रो स्टेशनों पर सीएफए का ड्यूटी रोस्टर इस प्रकार तैयार किया गया है कि प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर सीएफए को ब्रेक/ लंच समय आदि के बावजूद हर समय (संबंधित स्टेशन की आवश्यकता के अनुसार) उपलब्ध होना चाहिए। 5. सीएफए के लिए क्या करें और क्या न करें, की जानकारी को सीएफए के कार्य संबंधी जानकारी दिए जाने वाले सिस्टम में परिभाषित किया गया है।

	सीएफए/ सुरक्षा स्टाफ राजस्व घंटों के दौरान हर समय, ड्यूटी विरामों/ लंच आदि के बावजूद भी उपलब्ध रहें। इसके अलावा, ट्रेन ऑपरेटर और सीएफए/ सुरक्षा गार्डों के बीच एक संचार तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि सीएफए/ सुरक्षा गार्डों से किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेश प्राप्त होने पर ट्रेन ऑपरटेर गाड़ी रोक दें।	6. मेट्रो स्टेशनों के व्यस्त/ भीड़भाड़ वाले स्थानों के प्लेटफार्मों पर अतिरिक्त सीएफए तैनात किए गए हैं। 7. प्लेटफॉर्म पर सीएफए/ गार्ड के माध्यम से ट्रेन ऑपरेटर को सचेत करने के लिए एक विज़ुअल अलार्म सिस्टम लगाया गया है। इस व्यवस्था में, लाइन-1 और 3 तथा 4 पर 63 स्थलों पर एक फ्लैशिंग लाइट लगाई गई है जो प्लेटफॉर्म के नॉर्मल स्टॉपिंग प्वाइंट (एनएसपी) पर ठहरने वाले ट्रेन ऑपरेटर को दिखाई देगी।
पैरा 9.4	प्लेटफॉर्म लेवल पर उपलब्ध कराए गए मॉनिटर और कैमरों को संरक्षा के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में चिन्हित किया जाएगा और इन उपकरणों में किसी भी तरह की खराबी आने पर उन्हें तत्काल ठीक किया जाएगा। संरक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, ऑपरेशन और संरक्षा विभागों की टीमों द्वारा समय-समय पर संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा सभी आठ कोचों को कवर करने के लिए उन्नत कॉन्फ़िगरेशन वाले अतिरिक्त सीसीटीवी मॉनिटर (डिजिटल टाइप) उपलब्ध कराए जाएंगे।	सीसीटीवी मॉनिटर और प्लेटफॉर्म पर लगे कैमरों को संरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं के रूप में पहचाने जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इन उपकरणों में किसी भी तरह की खराबी होने पर संबंधित विभाग द्वारा इन्हें शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा। सहायक प्रबंधक/ प्रबंधक स्तर पर पूरे नेटवर्क का वार्षिक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। ट्रेन ऑपरेटर मॉनिटर की स्थापना की स्थिति इस प्रकार है: • लाइन 1, लाइन 3 और 4 पर घुमावदार एवं इंटरचेंज प्लेटफार्म वाले 34 स्टेशनों पर 49 इंच वाले उन्नत डिस्प्ले मॉनिटर स्थापित किए गए हैं। • लाइन 1 और 3/4 के सीधे प्लेटफार्म वाले 24 स्टेशनों जहां सीसीटीवी मॉनिटर उपलब्ध नहीं है, वहां 49 इंच का सीसीटीवी मॉनिटर लगाए जा रहे हैं। कुल 13 स्टेशनों पर यह कार्य पूरा हो चुका है और 11 स्टेशन शेष हैं, जहां काम चल रहा है और यह कार्य जनवरी, 2025 तक पूरा हो जाएगा।

पैरा 9.5	चौथे, पांचवें और छठे कोच के पास प्लेटफॉर्म पर अंधेरा रहता है। पीईबी रूफ पर लगी कुछ नालीदार जीआई शीट को पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट शीट से बदला जाएगा ताकि दिन के समय सूर्य की रोशनी मिल सके। इससे सीसीटीवी मॉनिटर को देखने में भी मदद मिलेगी।	सिफारिश के अनुसार, दिन के समय सूर्य की रोशनी के लिए सीढ़ियों की छत की नालीदार जीआई शीट को बदलकर वहां पारदर्शी कॉरोगेटिड पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई गई है।
पैरा 9.6	दरवाज़ा खोलने/ बंद होने पर ऑडियो अलार्म की आवाज़ मध्यम स्तर तक अर्थात् 72 डेसिबल से 76 डेसिबल तक बढ़ाई जानी चाहिए और ट्रेनों के अंदर साइनेज/ स्टिकरों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए।	सिफारिशों के अनुसार प्रगति की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है : 1. आरएमजीएल और एयरपोर्ट लाइन सहित समस्त स्टॉक (348 ट्रेनें) की सभी ट्रेनों में दरवाजा खोलने/ बंद होने संबंधी उद्‌घोषणाओं/ ध्वनि के ऑडियो स्तर को बढ़ाने का अभियान पूरा हो गया है। 2. ट्रेनों के अंदर साइनेज/ स्टिकरों का डिस्प्ले : आरएमजीएल और एयरपोर्ट लाइन सहित समस्त स्टॉक (348 ट्रेनें) की सभी ट्रेनों में पीएबी/ पीईसीयू/ पीईएएच और डोर लीफ साइनेज/ स्टिकर चिपकाने का काम पूरा हो चुका है।
पैरा 9.7	2002 विंटेज डिजाइन के चल स्टॉक में संरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डीएमआरसी द्वारा विभिन्न आशोधन कार्य किए जा रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है।	2002 विंटेज डिजाइन (आरएस-1 ट्रेनें) की 75 ट्रेनों में आशोधन का काम चल रहा है और 20 ट्रेनों में आशोधन कार्य पूरा हो चुका है, सभी 75 ट्रेनों में इन्हें 'चरणबद्ध तरीके' से पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसंबर-2027 है।

पैरा 9.8	एंटी-ड्रैग सुविधा के साथ मौजूदा दरवाजों के रेट्रोफिटमेंट की संभावना तलाशी जाएगी और तकनीकी रूप से संभव पाए जाने पर इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।	आरएस-1 की 05 ट्रेनों (लाइन-1 की 3 ट्रेनें और लाइन-3 की 2 ट्रेनें) के लिए एंटी-ड्रैग सिस्टम की व्यवस्था का कार्य दिनांक 11.10.2024 को M/s Mitech को दिया गया है; कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि जनवरी-2026 है।
पैरा 9.9	फिलहाल प्लेटफॉर्म पर 800 मि.मी. व्यास का रियर व्यू मिरर लगाया गया है ताकि ट्रेन ऑपरेटर को ट्रेन के दरवाजे की स्थिति देखने में सहायता मिल सके। चूंकि ट्रेन की लंबाई 8 डिब्बों तक बढ़ गई है, इसलिए मिरर को हवा द्वारा हिलने से बचाने के लिए ठोस नींव के साथ उच्च व्यास वाले 1200 मि.मी. के मिरर लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी।	पहले, 800 मि.मी. व्यास वाले रियर व्यू मिरर (अप लाइन पर 01 और डाउन लाइन पर 01) को 1000 मि.मी. व्यास वाले रियर व्यू मिरर से बदला गया था। अब, सिफारिश के अनुसार, इंटरचेंज स्टेशनों और घुमावदार प्लेटफ़ॉर्म वाले स्टेशनों पर 1000 मि.मी. व्यास वाले रियर व्यू मिरर के स्थान पर 1200 मि.मी. व्यास वाले मिरर लगाए गए हैं। रियर-व्यू मिरर को प्लेटफॉर्म की नींव के बजाय पीईबी स्ट्रक्चर पर लगाया गया है, ताकि इसे और अधिक मजबूती प्रदान की जा सके। सभी 64 चिन्हित स्थानों पर कार्य पूरा हो चुका है। 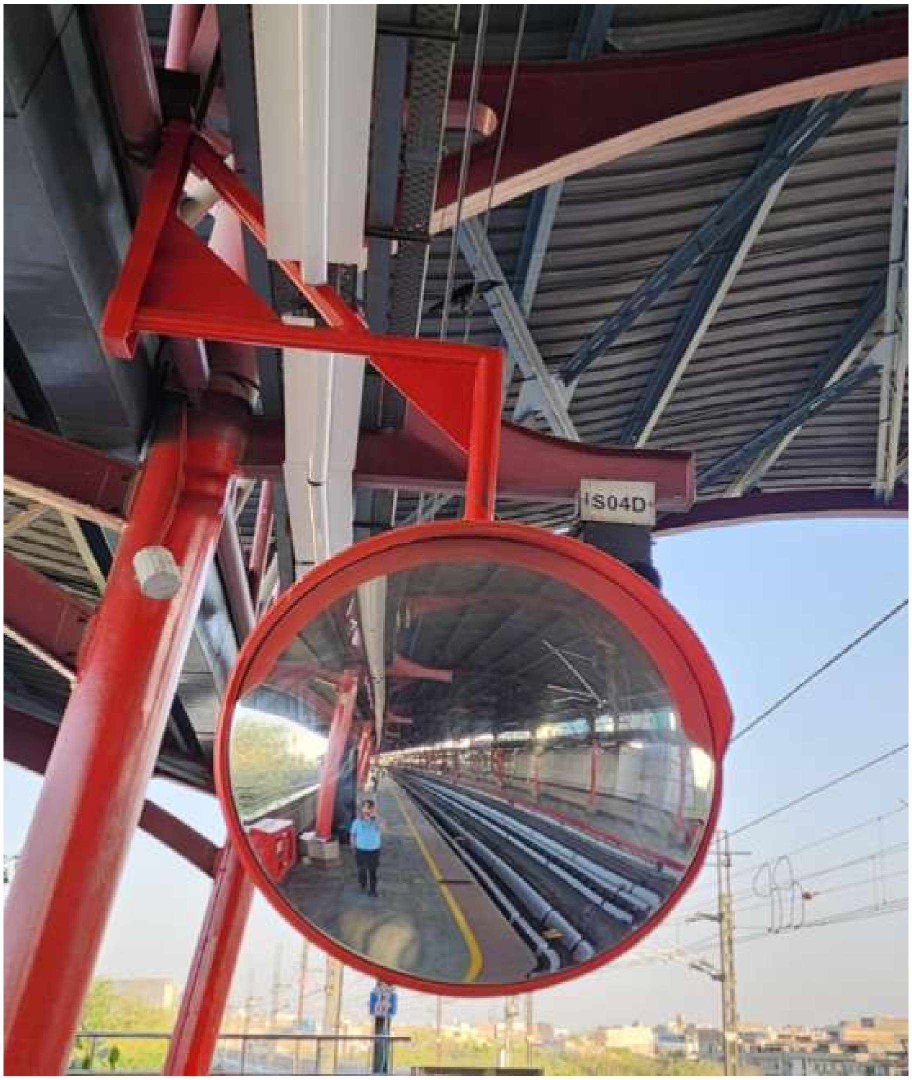

पैरा 9.10	वर्तमान में प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर केवल एक ईएसपी उपलब्ध कराया गया है। चूंकि 8 कोच ट्रेन को समायोजित करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई अधिक रखी गई है, इसलिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त ईएसपी, प्राथमिक तौर पर तीन ईएसपी, प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए।	ईएसपी के प्रावधान के लिए नीति की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि निर्माणाधीन सभी नई लाइनों (लाइन-10) और सभी भावी निर्माण कार्यों हेतु 3/4 डिब्बों वाली लाइनों के लिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक ईएसपी और 6/8 डिब्बों वाली लाइनों के लिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर दो ईएसपी उपलब्ध कराए जाएंगे। मौजूदा लाइन पर उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार ईएसपी उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है।
पैरा 9.11	यदि ट्रेन के प्रस्थान के समय प्लेटफॉर्म ज़ोन में यात्री आपातकालीन अलार्म (PEA) संचालित होता है, तो ट्रेन ऑपरेटर को आपातकालीन ब्रेक (EB) का उपयोग करके ट्रेन को रोकना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के बाद कि यात्रियों को कोई खतरा नहीं है, उसे पुनः ट्रेन चालू करनी चाहिए। तदनुसार एमआरजीआर 2020 के नियम 32 के उप-नियम 12 को संशोधित किया जाएगा।	ट्रेन ऑपरेटरों को समुचित निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करते समय यदि ट्रेन में पीईए संचालित होता है तो वे आपातकालीन ब्रेक का उपयोग करें। उनकी काउंसलिंग की गई है और अनुपालन के लिए उनका आश्वासन लिया गया है। यह सुविधा यूटीओ ट्रेनों में उपलब्ध है। वर्तमान में यह सुविधा मैन्युअल रूप से लागू की जा रही है। इसे उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है। एमआरजीआर 2020 के नियम 32 के उप-नियम 12 में संशोधन का प्रस्ताव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
पैरा 9.12	डीएमआरसी में कर्मचारियों और यात्रियों के इलाज के लिए अपनी स्वयं की चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। तथापि, डीएमआरसी ने अपने कर्मचारियों के इलाज के लिए कई सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ समझौता किया हुआ है। यात्रा के दौरान घायल होने वाले यात्रियों के लिए भी यह सुविधा दी जानी चाहिए। इसके अलावा डीएमआरसी में चिकित्सा सुविधाओं संबंधी कार्य देखने वाले मानव संसाधन विभाग को यात्रियों की देखभाल के मामले में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।	किसी घायल व्यक्ति को डीएमआरसी के पैनल वाले अस्पताल में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकती है, बशर्ते इसके लिए घायल व्यक्ति के परिवार के सदस्य की इच्छा और सहमति हो। इसके अलावा, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का कार्य देखने वाले मानव संसाधन विभाग के अधिकारी, परिचालन विभाग के समन्वय से सहायता प्रदान करेंगे।

--------------समाप्त------------------